हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

सांगली मिराज एण्ड कुपवाड नगर निगम व अन्य

(2011 की सिविल अपील संख्या 4917)

4 जुलाई, 2011

[डॉ. मुकुंदकम शर्मा और अनिल आर. दवे, जेजे]

बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949;

धारा 2 (42) – 'चुंगी' – वातित पेय पदार्थों वाली कांच की बोतलों और प्लास्टिक के बक्सों पर लगान – दलील है कि बोतलें और बक्से पुनरू प्रयोज्य और टिकाऊ हैं और निर्माता द्वारा बार बार उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा दलील है कि बोतलों और बक्सों की कीमतों में छूट दी गई है और यह वातित पेय पदार्थों के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल है अभिनिर्धारित यदि बोतलें और बक्से अंततः निगम की नगरपालिका सीमा में नहीं रहते हैं जिसमें वे आयात किए जाते हैंए तो कंपनी प्रासंगिक साक्ष्य के साथ नियमों के तहत धनवापसी के लिए आवेदन कर सकती है . यदि बोतलों और क्रेटों की लागत का परिशोधन किया जाता है और इसमें शामिल किया जाता है वातित पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री कीमत रिफंड का दावा करने के लिए उस संबंध में साक्ष्य भी रखे जा सकते हैं। अधिकारी

निर्माता के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं या अपनी ओर से चुंगी लगाने और संग्रह के लिए अधिक सुविधाजनक और व्यावहारिक तंत्र तैयार कर सकते हैं।

वातित पेय पदार्थों के निर्माण और बिक्री में लगे अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा वातित पेय को पैक करने और परिवहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कांच की बोतलों और प्लास्टिक के बक्सों पर अलग से चुंगी लगायी गयी थी और अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि कांच की बोतलें और प्लास्टिक के बक्से पुनः उपयोग योग्य और टिकाऊ थे अपीलकर्ताओं द्वारा बारण्बार उपयोग किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि कांच की बोतलों और बक्सों की लागत को कम कर दिया गया और वातित पेय पदार्थ के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल किया गया। इसलिएए दलील दी गई कि कांच की बोतलों और क्रेटोंध्बक्शों के मूल्य पर चुंगी नहीं लगाई जा सकती और इसलिए लगाए गए बिल अवैध और मनमाने हैं। उच्च न्यायालय ने एक्वियस विक्टुअल्सष् के मामले पर निर्भर रहते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालाँकि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी निगम की नगर सीमा में बोतलें और बक्शे बेचने उपयोग या उपभोग नहीं किए जाने की स्थिति में उचित आवेदन दायर करके धन वापसी का दावा करने की स्वतंत्रता दी गई थी। व्यथित निर्माता ने अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया

1.1. मौजूदा मामला एक्वियस विक्टुअल्स के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। चुंगी की गणना के तरीके का अंतर तत्काल मामले में उक्त निर्णय के अनुपात की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा और यही बात तत्काल मामलों पर लागू होती है। तदनुसार यदि अपीलकर्ता कंपनी उन्हीं बोतलों को पुनर्चक्रण के लिए भेज रही है और यदि बोतलें और टोकरे बक्से प्रतिवादी निगम की नगरपालिका सीमा में बेचे उपयोग या उपभोग नहीं किए जाते हैं तो इसका मतलब है यदि वे अंततः अंतिम आराम नहीं हैं प्रतिवादी निगम की नगरपालिका सीमा जिसमें वे आयात किए जाते हैंए अपीलकर्ता कंपनी हमेशा नियमों के तहत धन वापसी के लिए आवेदन कर सकती है। अपीलकर्ता कंपनी को एक्वियस विक्टुअल्स के मामले में विस्तृत बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। तत्काल मामले मेंए "ऑक्ट्रोई" चुंगी की परिभाषा बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियमए 1949 की धारा 2 (42) में निहित है। नियमों के तहत चुंगी अनुसूची में वातित पानी के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टि क्रमांक 11 (डी) पर है। बोतलों के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टि क्रमांक 52 पर है। बैरल क्रेट और व्यक्तिगत क्रेट के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टि क्रमांक 53ई पर है। नियमों में विस्तृत प्रावधान हैं जिनके तहत एक आयातक रिफंड पुर्नभरण के लिए आवेदन कर सकता है। [पैरा 18, 22 और 23] [777-डी-जी; 780-बी-जी]

एक्यूयस विक्टुअल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1998 (3) एससीआर 290 = [1998] 5 एससीसी 474; और बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बेलगाम बोरो नगर पालिका 1963 पूरक एससीआर 216 = एआईआर 1963 एससी 906. पर भरोसा किया।

एस.एम. राम लाल और कंपनी बनाम पंजाब सरकार के सचिव 1969 यूजे 373 (एससी), संदर्भित।

1.2. यदि बोतलों और बक्सों की कीमत को चुकाया जाता है और वातित पेय के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल किया जाता है तो इस संबंध में ऐसी किसी भी राशि पर रिफंड का दावा करने के लिए उस संबंध में साक्ष्य भी दिया जा सकता है। [पैरा 23] [780-ई-एफ]

1.3. जहां तक इस दलील का संबंध है कि जिन बोतलों में पेय पदार्थ लाए जाते हैं वे पुनर्नवीनीकरण और उपयोग की गई बोतलें हैं और इसलिए चुंगी की वसूली नई बोतलों के समान दर पर नहीं हो सकती है ये उन तथ्यों पर भी विवाद हैं जिनके लिए साक्ष्य देने की आवश्यकता होगी। अपीलकर्ता कंपनी द्वारा रिफंड के लिए आवेदन करने पर संबंधित प्राधिकारी इस पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करेगा और यदि कोई मामला बनता हैए तो रिफंड प्रदान करेगा। यदि अपीलकर्ता उन बोतलों और क्रेटों के मूल्यांकन से व्यथित है जिसके आधार पर विवादित बिल जारी किया गया है तो वे

उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं जो कानून के अनुसार उस पर निर्णय देगा। [पैरा 23-24] [780-ई-एच; 781-ए-बी]

1.4. अपीलकर्ता ने उस तंत्र के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है जिसके द्वारा लेवी की गणना और संग्रहण किया जा सकता है। इसके अनुसारए मौजूदा प्रक्रिया दोनों तरफ से बहुत बोझिल और अव्यवहारिक हैए इसके परिणामस्वरूप भारी प्रबंधकीय समय और प्रशासनिक लागत लगेगी। अपीलकर्ता ने एक उपयुक्त और सुविधाजनक तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिवादी निगम को प्रस्ताव भी दिया है। उक्त अनुरोध पर विचार की आवश्यकता है। तदनुसारए प्रतिवादी निगम उक्त प्रस्ताव पर कानून के अनुसार विचार करेगा और अन्यथा भी अपनी ओर से चुंगी लगाने और एकत्र करने के लिए एक उपयुक्त सुविधाजनक और व्यावहारिक तंत्र तैयार करेगा। [पैरा 25] [781-बी-डी]

केस कानून संदर्भः

1998 (3) एससीआर 290	पर निर्भर	पैरा 6
1963 पूरक एससीआर 216	पर निर्भर	पैरा 13
1969 यूजे 373 (एससी)	में संदर्भित	पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4917/2011।

बॉम्बे उच्च न्यायालय 2010 की रिट याचिका संख्या 5510 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 8.10.2010 से और 2010 की रिट याचिका संख्या 5510 में समीक्षा याचिका संख्या 207 में 20.10.2010 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2011 की सी.ए. संख्या 4918।

एस.के. बागरिया, एल. नागेश्वर राव, विक्रम नानकानी, तरूण गुलाटी, स्पर्श भार्गव, प्रवीण कुमार, धीरज नायर, चेतन चोपड़ा, संतोष कृष्णन अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादियों की ओर से श्याम दीवान, विजय कुमार, सुधीर मेहता, विश्वजीत सिंह।

न्यायालय का निर्णय डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. विलंब क्षमा किया गया।

2. छुट्टी दी गई।

3. चूंकि दोनों अपीलों में कानून का समान प्रश्न शामिल हैए इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया। वर्तमान दोनों सिविल अपीलें 2010 की रिट याचिका संख्या 5510 में दिनांक 08.10.2010 के फैसले के खिलाफ और उच्च न्यायालय की

डिवीजन बेंच द्वारा पारित 2010 की रिट याचिका संख्या 5867 में 08.10.2010 के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। बॉम्बे में न्यायपालिका की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसमें प्रतिवादी निगम द्वारा जारी किए गए बिल की वैधता को चुनौती दी गई हैए जिसमें कांच की बोतलों और क्रेटों पर अपीलकर्ताओं से चुंगी लगाने और मांग की गई है।

4. 2010 की रिट याचिका संख्या 5510 में दिनांक 08.10.2010 के फैसले के खिलाफ दायर सिविल अपील में अपीलकर्ता कंपनीए अन्य बातों के अलावा विभिन्न ब्रांडों के तहत विपणन किए गए वातित पेय पदार्थों के निर्माण में लगी हुई है। कंपनी के उत्पादों को पिरंगुट तालुका मुलशी जिला पुणे में स्थित संयंत्र से सांगली मिराज और कुपवाड जैसे अन्य स्थानों पर वितरित किया जाता है।

5. अपीलकर्ता के अनुसारए उनके उत्पाद वापस करने योग्य और पुनरू प्रयोज्य कांच की बोतलों में वितरित और बेचे जाते हैं। कांच की बोतलें प्लास्टिक के बक्सों में संग्रहित की जाती हैं। कांच की बोतलें और टोकरे अपीलकर्ता के स्वामित्व में हैं। इन्हें कभी भी किसी वितरक या खुदरा विक्रेता को नहीं बेचा जाता है। एक बार जब टोकरे में रखी कांच की बोतलों में उत्पाद का उपभोग हो जाता हैए तो टोकरे के साथ कांच की बोतलें सफाई और धोने के बाद भरने के लिए अपीलकर्ता को वापस कर दी

जाती हैं। अपीलकर्ता नगर निगमों की चुंगी सीमा में प्रवेश करने पर वातित पेय पदार्थों पर लगाए गए चुंगी का भुगतान करता है। विवादित विधेयक में अपीलकर्ता द्वारा निर्मित वातित पेय पदार्थों को पैक करने और परिवहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कांच की बोतलों और प्लास्टिक के बक्सों पर अलग से चुंगी लगाने का प्रभाव है। वातित पेय पदार्थों को बोतलों और बक्सों से अलग नहीं किया जा सकता। बोतलें और क्रेट न तो उपभोग की जाती हैं और न ही बेची जाती हैं बल्कि वापस कर दी जाती हैं। कांच की बोतलें और प्लास्टिक के बक्से पुनरू प्रयोज्य और टिकाऊ दोनों हैं और अपीलकर्ता द्वारा बार बार उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया है कि कांच की बोतलों और बक्सों की कीमत को वातित पेय पदार्थों के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल किया गया है। इसलिएए यह सुझाव दिया गया कि कांच की बोतलों और क्रेटों के मूल्य पर चुंगी नहीं लगाई जा सकती और इसलिए लागू बिल अवैध और मनमाने हैं।

6. एक्वियस विक्टुअल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने के बाद उक्त चुनौती को उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। (1998) 5 एससीसी 474 में रिपोर्ट की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। हालाँकि अपीलकर्ता कंपनी को उचित आवेदन भरकर रिफंड का दावा करने की स्वतंत्रता दी गई थी यदि बोतलें और टोकरे प्रतिवादी

निगम की नगरपालिका सीमा में बेचे उपयोग या उपभोग नहीं किए जाते हैंए यानी यदि प्रतिवादी निगम की नगरपालिका सीमा में अंततः आराम नहीं दिया गया अंतिम रूप से नहीं रखा जाता है और एक और निर्देश जारी किया गया कि यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उस पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा और यदि कोई मामला बनता है तो रिफंड दिया जाएगा।

7. हमने पक्षकारान् की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना। वैसी ही दलीलें जैसी उच्च न्यायालय के समक्ष की गई थीं इस न्यायालय के समक्ष भी की गईं। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्लास्टिक के बक्से और कांच की बोतलें टिकाऊ और पुनय प्रयोज्य हैं। अपीलकर्ता द्वारा इनका कई बार उपयोग किया जाता है। बोतलें और टोकरे नहीं बेचे जाते। इनका सेवन नहीं किया जाता। बोतलों का उपयोग किया जाता है लेकिन फिर से बाहर भेज दिया जाता है और फिर से भर दिया जाता है। टोकरे भी इसी तरह वापस भेजे जाते हैं।

8. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि बॉम्बे प्रोविजनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्टए 1949 (संक्षेप में "बीपीएमसी एक्ट") की धारा 2 (42) में दी गई "ऑक्ट्रॉय" शब्द की परिभाषा के अनुसारए "ऑक्ट्रॉय" का अर्थ प्रवेश पर उपकर है। किसी शहर की सीमा में उपभोग उपयोग या बिक्री के

लिए माल का प्रवेश और चूंकि वर्तमान मामले में कोई उपभोग उपयोग या बिक्री नहीं है, इसलिए चुंगी लगाना अनुचित है।

9. इस दलील पर ज़ोर दिया गया कि बोतलों और क्रेटों की लागत को परिशोधित किया जाता है और वातित पेय के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल किया जाता है। चूंकि कांच की बोतलों और क्रेटों की कीमत पहले से ही पेय पदार्थ की कीमत में शामिल होती है जिस पर चुंगी लगाई और एकत्र की जाती है कांच की बोतलों और क्रेटों पर कोई और चुंगी नहीं लगाई जा सकती है।

10. उपरोक्त सभी प्रस्तुतियाँ और दलीलें उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा खारिज कर दी गईं। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में मुद्दा इस न्यायालय द्वारा बहुत पहले ही एक्वियस विक्चुअल्स (सुप्रा) के मामले में सुलझा लिया गया है और उच्च न्यायालय ने इस फैसले में अदालत निर्धारित अनुपात का पालन करते हुए रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता कांच की बोतलों और क्रेटों पर लगाए गए चुंगी से व्यथित नहीं हो सकता है क्योंकि अपीलकर्ता अधिकारियों को संतुष्ट कर सकता है कि उनका उपयोग उपभोग या बिक्री नगरपालिका सीमा में नहीं की गई थीए बल्कि उन्हें बाहर कर दिया गया था। पुनर्चक्रण

के लिएए उक्त मामले में वे रिफंड का दावा कर सकते हैं और इस तरह उन पर ऐसी बोतलों और क्रेटों पर चुंगी की देनदारी का बोझ नहीं पड़ता है।

11. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। एक्यूअस विक्टुअल्स (सुप्रा) में याचिकाकर्ता कंपनी शीतल पेय की बोतलबंद करने का कारोबार करती थी। इन पेय पदार्थों को बरेली में अपने संयंत्रों में बोतलबंद करने के बाद याचिकाकर्ता कंपनी ने इसे उत्तर प्रदेश के जिलों में थोक विक्रेताओं को वितरित किया। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 नगर पालिका बोर्डों को उपभोग उपयोग या बिक्री के लिए नगर पालिका के भीतर लाए गए सामान या जानवरों पर चुंगी लगाने की शक्ति प्रदान करती है। नगर पालिकाओं के उपनियमों में शीतल पेय पर चुंगी लगाने का प्रावधान है। चूंकि नगर पालिकाएं न केवल पेय पदार्थों के सकल वजन के आधार पर बल्कि नगरपालिका सीमा के भीतर लाए गए पेय पदार्थों वाली बोतलों के सकल वजन के आधार पर चुंगी लगाने की मांग कर रही थीं। याचिकाकर्ता कंपनी ने इसे चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। लेवी याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसारए उपनियमों में शीतल पेय पर चुंगी लगाने का प्रावधान है लेकिन उन बोतलों के वजन पर नहीं जिनमें वे शीतल पेय हैं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने माना कि जिन बोतलों में शीतल पेय ले जाया गया थाए उनके बारे में कहा जा सकता है

कि उनका उपयोग नगरपालिका सीमा के भीतर भंडारण के उद्देश्य से किया गया था जब तक कि वे अंततः संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग नहीं किए जाते। इसलिए इन तरल पदार्थों से युक्त बोतलों के वजन पर भी नगर पालिकाओं द्वारा चुंगी शुल्क लगाने के लिए वैध रूप से विचार किया जा सकता है।

12. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से निपटते हुए इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 (1) (8) का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार के किसी भी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन बोर्ड जो कर लगा सकता है उसमें उपभोग उपयोग या बिक्री के लिए नगर पालिका के भीतर लाए गए सामान या जानवरों पर चुंगी शामिल हो सकती है। लेवी की दरें अनुसूची अ में दी गई थीं। अनुसूची अ में वातित पानी का उल्लेख है लेकिन वातित पानी की बोतलों का नहीं। इस न्यायालय ने मुख्य चार्जिंग प्रावधान यानी धारा 128 (1) (8) पर विचार किया जिसमें कहा गया था कि उन वस्तुओं पर चुंगी लगाई जा सकती है जो उपभोग उपयोग या बिक्री के लिए नगर पालिका के भीतर लाए गई थी और यह माना गया था कि जिस पैकिंग में चुंगी पेय पदार्थों की खेप होती है वह बनी रहेगी। खेप के कर योग्य सकल वजन में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी है बशर्ते कि ऐसी पैकिंग को नगरपालिका सीमा के भीतर बिक्रीए उपभोग या उपयोग के उद्देश्य से नगरपालिका सीमा के भीतर लाया

गया दिखाया गया हो। लेकिन यदि यह पाया जाता है कि पैकिंग को नगर निगम सीमा के भीतर उसकी सामग्री को डिस्चार्ज करने के बाद नगर निगम सीमा से बाहर ले जाया गया है तो ऐसी पैकिंग का वजन चुंगी कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है या यदि ऐसा कर प्रवेश बिंदु पर लगाया जाता है तो यह वापसी के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। इस न्यायालय ने आगे कहा कि रिफंड के दावे में विवादित प्रश्न शामिल होंगे जैसे कि क्या पैकिंग के साथ ऐसी खेप वास्तव में स्थानीय उपभोक्ताओं या थोक विक्रेताओं को उनकी सामग्री के साथ बेची गई थी क्या उनका उपभोग या उपयोग स्थानीय सीमा के भीतर किया गया था या क्या वे थे अनिश्चित काल के लिए उपयोग किया गया और अंततः नगरपालिका सीमा के भीतर रखा गया और बाहर नहीं निकाला गया। जब उचित प्राधिकारियों द्वारा रिफंड के दावों पर विचार किया जाता है तो तथ्य के इन विवादित प्रश्नों की जांच और निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

13. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय इस न्यायालय ने एआईआर 1963 एससी 906 में रिपोर्ट किए गए बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बेलगाम बोरो नगर पालिका मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया जहां वह इस सवाल से निपट रही थी कि क्या बर्मा शेल द्वारा उपभोग पुनर्नियात और बिक्री के लिए बेलगाम की सीमा के भीतर लाये गये सामान पर चुंगी लगाई जायेगी। उपभोग उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं

के प्रवेश पर करों से संबंधित संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 52 में पाए गए शब्दों की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने देखा कि दो अभिव्यक्तियाँ "उपयोग" और "उपभोग" एक साथ वस्तुओं और जानवरों को उनके उपयोग के बिना उपयोग के लिए या उन्हें नष्ट करने बर्बाद करने या उपयोग करने के तरीके से उपभोग के लिए रखने की दृष्टि से लाने को दर्शाता है इस न्यायालय ने पाया कि न्यायालय की यह आधिकारिक घोषणा यह स्पष्ट करती है कि नगर पालिका द्वारा किसी भी वस्तु पर चुंगी शुल्क लगाने से पहले यह दिखाना होगा कि संबंधित वस्तु को उपभोग के लिए नगर निगम की सीमा के भीतर लाया गया था अर्थात पूरी तरह से उपयोग के लिए। ताकि नगर निगम की सीमा के भीतर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए या इसका उपयोग नगर निगम की सीमाओं के भीतर अनिश्चित काल के लिए किया जाना था। ताकि यह अंततः नगर निगम सीमाओं के भीतर रहे और बाद में बाहर न जाए या संबंधित वस्तु को दिखाया जाना चाहिए कि बिक्री के उद्देश्य से उक्त सीमा के भीतर नगर पालिका की सीमा के भीतर लाया गया है।

14. इस न्यायालय ने 1969 यूजे 373 (एससी) में रिपोर्ट किए गए एस.एम. राम लाल और कंपनी बनाम पंजाब सरकार के सचिव मामले में अपने फैसले का भी उल्लेख कियाए जहां यह न्यायालय इस सवाल से निपट रहा था कि क्या नगर निगम की सीमा के भीतर ऊन का आयात किया जाता है। नगरपालिका सीमा के भीतर रंगाई के लिए कच्चे रूप में

फ़रीदाबाद को नगरपालिका सीमा में उपयोग किया गया या उसमें उपभोग किया गया कहा जा सकता है ताकि उस पर चुंगी शुल्क लगाया जा सके। इस न्यायालय ने पाया कि 'उपयोग' शब्द सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टि संख्या 52 में 'उपभोग' और 'बिक्री' के बीच आता है और इसे उस संदर्भ से रंग लेना चाहिए जिसमें यह होता है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि तीन शब्दों 'उपभोग', 'उपयोग', और 'बिक्री' का युग्म यह दर्शाता है कि अंतर्निहित सामान्य विचार यह था कि या तो मालिक का शीर्षक दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाता है या वस्तु या वस्तु अपने मूल रूप में मौजूद नहीं रहती है।

15. हालाँकि इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि बोतलों और छिलकों को सामग्री की अंतिम खपत तक कंटेनर के रूप में उपयोग किया जाता था और इसलिए जिन बोतलों में पेय पदार्थ होता था उनका उपयोग अंतिम उपभोग चरण तक किया जाता था और इसलिएए चुंगी लगाने के लिए उत्तरदायी है इस सवाल को छोड़कर कि क्या उन्हें उपभोग के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर लाया गया था। बर्मा शेल के मामले का जिक्र करते हुएए इस न्यायालय ने माना कि हालांकि बोतलों का उपयोग इसके विनाश या पूर्ण उपयोग के बराबर नहीं हो सकता हैए लेकिन चुंगी को आकर्षित करने के लिए बोतलों को अंततः नगर निगम की सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए और बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नगरपालिका

सीमा के भीतर लाए गए माल पर चुंगी की वसूली को आकर्षित करने के लिएए इस तथ्य का प्रमाण होना चाहिए कि माल पूरी तरह से नगरपालिका सीमा के भीतर उपभोग किया गया था या अनिश्चित काल के लिए इस तरह से उपयोग किया गया था कि वे आते हैं नगरपालिका सीमा के भीतर अंतिम और स्थायी रूप से आराम करने या उक्त सीमा के भीतर बेचने के लिए।

16. अपने समक्ष मामले के तथ्यों के संदर्भ मेंए इस न्यायालय ने पाया कि विवादास्पद प्रश्न यह था कि क्या जो बोतलें नगरपालिका सीमा के भीतर बिक्री के लिए आयातित पेय पदार्थों से भरी हुई थीं उन्हें नगरपालिका सीमा के भीतर उपभोग या उपयोग किया गया माना जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या बोतलें वास्तव में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा नगरपालिका सीमा के भीतर बेची गई थींए प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करके समाधान की आवश्यकता है। यदि खाली बोतलें नगर निगम सीमा से बाहर ले जाई जाती हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि नगर निगम सीमा के भीतर उनका उपभोग किया गया या उन्हें नष्ट कर दिया गया। जिस प्रश्न की जांच की आवश्यकता है वह यह है कि क्या नगरपालिका सीमा के भीतर आयातित बोतलबंद पेय पदार्थों की कुल खेप में से खाली होने के बाद बोतलों की पूरी खेप फिर से निर्यात की गई या क्या मूल खेप का हिस्सा बनने वाली कुछ बोतलें नष्ट हो गईं टूट फूट आदि के कारण या संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा कभी वापस नहीं किया गया था और केवल शेष

आयातित बोतलों को उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं को अग्रिम सुरक्षा के माध्यम से भुगतान की गई बोतलों की कीमत की वापसी प्राप्त करने में सक्षम बनाकर पुनः निर्यात किया गया था। याचिकाकर्ता कंपनी इन खाली बोतलों को पुनर्चक्रण के लिए वापस करने पर। यह स्वयंसिद्ध है कि यदि जिन बोतलों में पेय पदार्थ उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर लाए गए थे वे टूटने आदि के कारण स्वयं नष्ट हो गए थे या उपभोक्ताओं द्वारा वापस नहीं किए गए थे तो उन्हें नगरपालिका सीमा के भीतर उपभोग किया गया माना जा सकता है और इसलिए उसके बाद किसी भी समय उनके निर्यात का कोई अवसर नहीं होगा। उक्त परिस्थिति में इस तथ्य के संबंध में मंशा कि उक्त सामान उपभोग और उपयोग के लिए लाया गया था या नहीं केवल बाद के चरण में ही स्पष्ट हो जाएगा जब बोतलों को फिर से निर्यात किया जाएगा। इस दृष्टिकोण में इस न्यायालय ने माना कि यदि याचिकाकर्ता कंपनी संबंधित अधिकारियों को संतुष्ट करती है कि नगर निगम सीमा के भीतर खाली होने के बाद मूल खेप वाली बोतलें वास्तव में रीसाइक्लिंग के लिए नगर निगम सीमा से बाहर ले जाया गया था तो यह होगा ऐसी खाली बोतलों के वजन पर निर्धारित चुंगी शुल्क के आनुपातिक रिफंड का दावा करने का हकदार केवल इस शर्त पर होगा कि शुल्क की ऐसी राशि का बोझ पेय पदार्थों के उपभोक्ताओं या किसी अन्य को नहीं दिया गया है यानी कोई अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं है।

17. उपरोक्त सीमा तक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता कंपनी को निम्नलिखित बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करके रिफंड के लिए अपना दावा दायर करने की अनुमति दीः

> "(ए) उनकी तारीखों और संख्या के साथ संबंधित खेप की प्रकृति नगरपालिका सीमा के भीतर लाई गई पेय पदार्थों से भरी बोतलें उनके वजन के साथ;
>
> (बी) इस तथ्य से संबंधित प्रमाण कि ये बोतलें नगरपालिका सीमा के भीतर थोक विक्रेताओंए खुदरा विक्रेताओं या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेची गईं;
>
> (सी) संबंधित खेप द्वारा कवर की गई बोतलों की संख्या जिन्हें बाद में रीसाइक्लिंग के लिए नगरपालिका सीमा से परे खाली बोतलों के रूप में ले जाया गया और ऐसी खाली बोतलों का वजन;
>
> (डी) क्या जो बोतलें वास्तव में नगरपालिका सीमा से बाहर ले जाई गई पाई गईंए वे वही बोतलें थीं जिनमें पेय पदार्थ थे जो प्रासंगिक खेप के माध्यम से नगरपालिका सीमा के भीतर लाए गए थे;
>
> (ई) क्या ऐसी बोतलों का मूल्य और उनके वजन पर चुंगी शुल्क की राशि उपभोक्ताओं को दी गई थी या नहीं?"

18. हमारी सुविचारित राय में वर्तमान मामला एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है और उक्त निर्णय वर्तमान मामले के समान तथ्यों पर पारित किया गया था एकमात्र अंतर यह है एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) के मामले में चुंगी की गणना बोतलों और बक्सों के वजन के आधार पर की जाती थी और लगाया जाता था जबकि वर्तमान मामले में विवादित विधेयक बोतलों के मूल्य और टोकरे के मूल्य के आधार पर चुंगी लगाने का प्रयास करता है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उक्त अंतर के कारण एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) के मामले में निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। हमारी राय में चुंगी की गणना के तरीके का उक्त अंतर वर्तमान मामले में उक्त निर्णय के अनुपात की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा और यह चारों तरफ वर्तमान मामले पर भी लागू होता है।

19. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) के मामले में निर्णय को सही कानून नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उक्त निर्णय संविधान द्वारा निर्धारित कानून की सही सराहना नहीं करता है। बर्मा शेल

ऑयल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की पीठ। उक्त प्रस्तुतीकरण की सराहना करने के लिए एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) के मामले में फैसले के

प्रासंगिक हिस्से को निकालना उचित होगा जिसमें इस न्यायालय ने बर्मा शेल ऑयल (सुप्रा) के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून पर विस्तार से विचार किया है।

"15. उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर यह स्पष्ट हो जाता है कि "रिटेंशन" शब्द को "रिपोज़" शब्द का पर्याय माना जाता है जिसका अर्थ है कि संबंधित लेख को अंततः नगरपालिका सीमा के भीतर रहना चाहिए के प्रकाश में इस न्यायालय की संविधान पीठ के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु पर नगर पालिका चुंगी शुल्क लगाने से पहले यह दिखाना होगा कि संबंधित वस्तु उपभोग के लिए नगर निगम की सीमा के भीतर लाई गई थी। पूरी तरह से उपयोग किया जाना था ताकि इसका अस्तित्व नगरपालिका सीमा के भीतर ही समाप्त हो जाए या इसका उपयोग नगरपालिका सीमा के भीतर अनिश्चित काल के लिए किया जाना था ताकि यह अंततः नगरपालिका सीमा के भीतर ही रहे और बाद में बाहर न जाए या संबंधित वस्तु होनी चाहिए। उक्त सीमा के भीतर बिक्री के उद्देश्य से नगरपालिका सीमा के भीतर लाया गया दिखाया गया है। इस प्रकार रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ 234 के पी में चुंगी लगाने के संबंध में उपरोक्त कानूनी स्थिति निर्धारित की गई है। न्यायालय ने देखा कि बर्मा शेल स्थानीय क्षेत्र में लाए गए माल पर चुंगी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था (ए) स्वयं उपभोग करने के लिए या उपभोक्ताओं को सीधे बेचने के लिए और (बी) डीलरों को बिक्री के लिए जो बदले में बेचते थे नगरपालिका क्षेत्र

के भीतर उपभोक्ताओं को सामान चाहे ऐसे उपभोक्ताओं ने उन्हें क्षेत्र में उपयोग के लिए खरीदा हो या उसके बाहर।हालाँकि कंपनी उन वस्तुओं के संबंध में चुंगी के लिए उत्तरदायी नहीं थी जिन्हें वह स्थानीय क्षेत्र में लाती थी और जिनका पुनः निर्यात किया जाता था। लेकिन उस स्थिति में कंपनी को खुद को कर से बचाने में सक्षम बनाने के लिए करों की वापसी के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ा।

16. इस न्यायालय की संविधान पीठ की उपरोक्त आधिकारिक घोषणाए वर्तमान मामले में विवाद को शांत करती है। यदि यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि 1980 से 1987 तक की प्रासंगिक अवधि के दौरान उसने चार प्रतिवादी नगर पालिकाओं की नगरपालिका सीमा के भीतर बोतलों में पैक किये गये पेय पदार्थ लाये और बोतलें नगरपालिका सीमा के भीतर नहीं बेची गईं और पेय पदार्थों को बाहर ले जाने के बाद इन बोतलों में सेए इन बोतलों को याचिकाकर्ता को वापस कर दिया गया और बरेली वापस ले जाया गयाए फिर प्रासंगिक अवधि के दौरान इन बोतलों के वजन पर भुगतान किए गए चुंगी की वापसी का दावा करने के लिए जब खेप समय समय पर नगरपालिका सीमा में प्रवेश करती थी। रिट याचिकाकर्ता को करों की वापसी के लिए संबंधित नगर पालिका द्वारा उसके नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना था और इन नियमों के वैधानिक दायरे का पालन करना था। उसे यह भी दिखाना था कि विवादित चुंगी शुल्क का बोझ उसके द्वारा वहन किया गया था और इन बोतलों में

मौजूद पेय पदार्थों के उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया था। दूसरे शब्दों में यदि रिफंड दिया गया तो यह अन्यायपूर्ण संवर्धन का दोषी नहीं होगा। यदि प्रासंगिक सबूत प्रस्तुत करने पर रिफंड का दावा अंततः मंजूर नहीं किया गया तो नियमों के तहत प्रदान की गई अपील के उपाय का पालन करना होगा।"

20. बर्मा शेल ऑयल (सुप्रा) के मामले में संविधान पीठ के फैसले और एक्वियस विक्टुअल्स ;सुप्राद्ध के मामले में निकाले गए उपरोक्त निष्कर्ष के एक मिनट और विस्तृत अवलोकन परए हम अपीलकर्ता की उक्त दलील से सहमत नहीं हैं। हम ऊपर दिए गए निष्कर्ष से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और हमारी सुविचारित राय है कि एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) में इस न्यायालय ने बर्मा शेल ऑयल (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून की सही सराहना की है।

21. यद्यपि यह जोरदार तर्क दिया गया कि बोतलों और क्रेटों की लागत का परिशोधन किया गया है और वातित पेय के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल किया गया है लेकिन उस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य नहीं रखा गया था। इसके अलावा यदि इसे रखा भी गया था तब भी तथ्य का विवादित प्रश्न होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता था।

22. वर्तमान मामले में "चुंगी" की परिभाषा बीपीएमसी अधिनियम की धारा 2 (42) में निहित है। उक्त नियमों के तहत चुंगी अनुसूची में वातित जल के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टि क्रम संख्या 11 (डी) पर है। बोतलों के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टि क्रमांक 52 पर है। बैरल क्रेट और व्यक्तिगत क्रेट के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टि क्रमांक 53ई पर है। उक्त नियमों में विस्तृत प्रावधान हैं जिनके तहत एक आयातक रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।

23. तदनुसार हमारी राय में जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) में भी निर्धारित किया गया है। यदि अपीलकर्ता कंपनी उन्हीं बोतलों को रीसाइक्लिंग के लिए भेज रही है और यदि बोतलें और टोकरे बेचे उपयोग या उपभोग नहीं किए जाते हैं प्रतिवादी निगम की नगरपालिका सीमाएँ अर्थात यदि वे अंततः प्रतिवादी निगम की नगरपालिका सीमा में विश्राम नहीं करते हैं जिसमें वे आयात किए जाते हैं तो अपीलकर्ता कंपनी हमेशा उक्त नियमों के तहत धन वापसी के लिए आवेदन कर सकती है। अपीलकर्ता कंपनी को एक्वियस विक्टुअल्स (सुप्रा) में विस्तृत बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिसे हमने यहां ऊपर उद्धृत किया है। जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है यदि बोतलों और क्रेटों की लागत को चुकाया जाता है और वातित पेय के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल किया जाता है तो ऐसी किसी भी राशि पर रिफंड का दावा करने के लिएए उस संबंध में साक्ष्य भी रखा जा सकता है। इसके अलावा

यह भी बताया गया कि जिन बोतलों में पेय पदार्थ लाए जाते हैं वे पुनर्नवीनीकरण और उपयोग की जाने वाली बोतलें होती हैं और इसलिए चुंगी की वसूली नई बोतलों के समान दर पर नहीं हो सकती है। इन तथ्यों पर भी विवाद हैं जिनके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। अपीलकर्ता कंपनी द्वारा रिफंड के लिए आवेदन करने पर संबंधित प्राधिकारी इस पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करेगा और यदि कोई मामला बनता है तो रिफंड प्रदान करेगा।

24. कहने की आवश्यकता नहीं है यदि अपीलकर्ता उन बोतलों और क्रेटों के मूल्यांकन से व्यथित है जिसके आधार पर विवादित बिल जारी किया गया है तो वे उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं और उचित प्राधिकारी निर्णय करेगा। कानून के अनुसार ही जिसके विरुद्ध यदि फिर भी व्यथित हो तो उपलब्ध अन्य उपाय का सहारा लिया जा सकता है।

25. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित है कि सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने उस तंत्र के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है जिसके द्वारा उक्त लेवी की गणना और संग्रह किया जा सकता है क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान प्रक्रिया दोनों छोर पर बहुत बोझिल और अव्यवहारिक है और इसके अलावा इसके परिणामस्वरूप भारी प्रबंधकीय समय और प्रशासनिक लागत खर्च होगी। वर्तमान निर्णय सुनाने के लिए सुरक्षित रखे जाने के

बाद अपीलकर्ता ने एक उपयुक्त और सुविधाजनक तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिवादी निगम को प्रस्ताव भी दिए हैं। अपीलकर्ता की ओर से उक्त अनुरोध पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार प्रतिसाद देने वाला निगम कानून के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर विचार करेगा और अन्यथा भी अपनी ओर से चुंगी लगाने और एकत्र करने के लिए एक उपयुक्तए सुविधाजनक और व्यावहारिक तंत्र तैयार करेगा।

26. उपरोक्त निर्देशों के साथ दोनों अपीलें लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती हैं।

आर.पी. अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेणु कुमारी गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।